न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान महावीर बनाम किशोर कुमार आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 209 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
27.07.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपनी बहस में कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2021 का है। आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2021 का है। इस आक्षेपित आदेश के अपीलाण्ट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए। रेस्पोडेण्ट द्वारा एक अन्य वाद पवन कुमार बनाम महावीर आदि प्रस्तुत कर रखा है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 25.05.2023 नियत है। जिसमें अपीलांट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को मई 2023 के प्रथम सप्ताह में बताया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में बताया कि रेस्पोडेंट ने एक वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता की मार्फत उक्त पत्रावली की नकल दिनांक 11.05.2023 को प्रापत की जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के एतराज के बावजूद अपीलांट के प्रार्थना–पत्र व स्थगन आदेश का कोई निस्तारण नहीं किया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2023 की निरन्तरता में स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। स्थगन आदेश आज भी प्रभावी होने के कारण अपील अपीलांट अन्दर मियाद है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रापवली का अवलोकन किया। दफा 5 अधिनियम के प्रार्थना अपील का गुणावगुण पर निर्णय श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन पर निवेदन किया कि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध पारित किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट की भूमि है जिसमें रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कब्जा के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के एतराज के बावजूद अपीलांट के प्रार्थना–पत्र व स्थगन आदेश का कोई निस्तारण नहीं किया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2023 की निरन्तरता में स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। आक्षेपित आदेश से अपीलाट के साम्पतिक हित विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं तथा अपीलांट को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जावे। आक्षेपित आदेश अंतरिम आदेश न होकर अंतिम आदेश है लेकिन फिर भी न्यायालय इसे अंतरिम आदेश माने तो भी अपील पोषणीय है इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2021 (2) रेवन्यू पेज 1008, डीएनजे 2021 (2) रेवन्यू पेज 922, डीएनजे 2021 (2) पेज 1061, डीएनजे 2021 (1) पेज 1, सीसीसी 2010 (3) इलाहाबाद पेज 728, डीएनजे 2022 (2) रेवेन्यू पेज 1534, डीएनजे 2015 (1) राज0 पेज 81, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1381, आरआरटी 2014 (1) पेज 265, सीसीसी 2017 (2) पेज 208, 2016 आरआरटी पेज 1391, 2016 (2) आरआरटी पेज 1084, 2018 (1) सीसीसी पेज 262 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.04.2021 स्थगन आदेश पारित किया है। जिसका रेस्पोडेण्ट ने उपस्थित आकर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया है, जबकि एकपक्षीय स्थगन को 30 दिवस में निस्तारण किया जाना चाहिए था। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है। उक्त परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति/प्रभाव को आगामी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक तक स्थगित किया जाना उचित है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2021 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्रकरण सं0 29/2021 अनवान किशोर कुमार बनाम महावीर आदि में पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 की क्रियान्विति (प्रभाव) को निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner